भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4820

23 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

पीडीएस के तहत शिकायत निवारण

4820. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक राष्ट्र-एक राशन-कार्ड योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु कोई तंत्र मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में जारी कुल राशन-कार्डों की संख्या और कार्यरत उचित मूल्य दुकानों की संख्या वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): इस विभाग ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कार्यान्वयन हेतु "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम - पीडीएस)" नामक एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मौजूदा पीडीएस प्रणालियों/पोर्टलों को केन्द्रीय प्रणालियों/पोर्टलों आदि के साथ जोड़कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी लागू करना है, ताकि वे नया राशन कार्ड प्राप्त करने की जरूरत के बिना देश की किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता के खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।

.....2/-

चल रही स्कीम के अंतर्गत वास्तविक प्रगति और कुछेक राज्यों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की तैयारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 01 अगस्त, 2019 से राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को दो क्लस्टरों अर्थात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (क्लस्टर-1) एवं गुजरात और महाराष्ट्र (क्लस्टर-2) में पायलट आधार पर कार्यान्वित किया जाए।

(ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण" स्कीम प्रचालित कर रहा है। इस स्कीम में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थी एवं अन्य डाटाबेसों का डिजिटीकरण, ऑनलाईन आवंटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टलों की स्थापना और शिकायत निवारण तंत्र का गठन करना शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाईन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री (1967/1800-सीरीज) नंबर कार्यान्वित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) : जारी किए गए राशन कार्डों की कुल संख्या, प्रचालनरत उचित दर दुकानों और किए गए अन्य सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार) दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4820 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 23.07.2019 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण संबंधी स्कीम की स्थिति

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएसए के अंतर्गत राशन कार्ड	राशन कार्डों का डिजिटीकरण	राशन कार्डों के साथ आधार सीडिंग	खाद्यान्नों का ऑनलाईन आवंटन	आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण	टोल फ्री/ऑनलाईन शिकायत निवारण	उचित दर दुकानों की संख्या	प्रचालनरत ई-पीओएस युक्त एफपीएस की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	92,88,919	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	28,936	28,936
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14,544	100%	96%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	479	459
3	अरुणाचल प्रदेश	1,77,607	100%	57%	कार्यान्वित	-	हां	1,943	25
4	असम	57,86,102	100%	0%	कार्यान्वित	-	हां	38,237	0
5	बिहार	1,63,57,533	100%	78%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	41,483	62
6	चंडीगढ़	70,322	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	0	0
7	छत्तीसगढ़	52,81,540	100%	98%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	12,304	11,971
8	दादरा और नगर हवेली	45,309	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	63	63
9	दमन और दीव	19,970	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	51	51
10	दिल्ली	17,21,834	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	2,254	0
11	गोवा	1,41,611	100%	98%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	456	456
12	गुजरात	66,25,904	100%	99%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	17,210	17,210
13	हरियाणा	26,66,702	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	9,526	9,526
14	हिमाचल प्रदेश	6,82,801	100%	99%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	4,934	4,934
15	जम्मू और कश्मीर	16,76,811	100%	79%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	6,411	6,411
16	झारखंड	57,02,334	100%	95%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	25,532	25,532
17	कर्नाटक	1,24,77,881	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	19,967	19,581
18	केरल	36,67,110	100%	99%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	14,374	14,335
19	लक्षद्वीप	5,157	100%	100%	कार्यान्वित	लागू नहीं	हां	39	39
20	मध्य प्रदेश	1,17,47,674	100%	90%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	24,732	24,619
21	महाराष्ट्र	1,46,49,768	100%	97%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	52,532	52,532
22	मणिपुर	5,87,820	100%	79%	कार्यान्वित	-	हां	2,682	0
23	मेघालय	4,21,995	100%	0%	कार्यान्वित	-	हां	4,736	10
24	मिजोरम	1,48,134	100%	93%	कार्यान्वित	-	हां	1,252	0
25	नागालैंड	2,84,933	100%	64%	कार्यान्वित	-	हां	1,691	0
26	ओडिशा	86,81,661	100%	95%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	12,577	12,577
27	पुडुचेरी	1,76,528	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	0	0
28	पंजाब	35,34,516	100%	99%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	17,525	17,525
29	राजस्थान	1,06,74,825	100%	96%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	26,745	26,063
30	सिक्किम	94,188	100%	90%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	1,362	1,352
31	तमिलनाडु	1,00,84,405	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	34,776	34,776
32	तेलंगाना	51,07,337	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	17,170	17,170
33	त्रिपुरा	5,78,918	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	1,806	1,806
34	उत्तर प्रदेश	3,52,73,352	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	80,493	80,493
35	उत्तराखंड	13,28,025	100%	93%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	9,908	3,271
36	पश्चिम बंगाल	5,63,40,257	100%	64%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	20,806	366
	योग	**23,21,24,327**	**100%**	**85.54%**	**34**	**26**	**36**	**5,34,992**	**4,12,151**

*****